

" प्ररूप	आ.क.वि-2	भारतीय आय कर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखे)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	5	-	2

भाग क-साधारण		साधारण			
व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं.(पैन)	
	(क6) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.	(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम		(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	
	(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्मतिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / /			
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) 			
	(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिनकोड / जिप कोड		
		(क12) देश			
	(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं. / मोबाईल नं.1		(क17) मोबाईल नं. 2		
	(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)		(क19) ई मेल पता -2		
	फाइलिंग का स्टेटस	(क20)	(क1i) धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ उपांतरित विवरणी <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्	
		(क1ii) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153 ग		
(क2)		क्या आप नई कर व्यवस्था का चयन करके धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं (डिफाल्ट रूप में 'नहीं' है)? टिप्पण: बाहर निकलने का विकल्प चयन करने के लिए, धारा 139(1) के अधीन विवरणी सहित विकल्प का चयन करना चाहिए।			
(ख)		क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]			
(खi)		क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)		
(खii)		क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)		
(खiii)		क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)		
(खiv)		क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन निर्धारित शर्तों के अधीन आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)			(चिह्न) - हां - नहीं
(ग)		यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तारीख/मास/वर्ष)			/ /
(घ)		यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153 ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19 गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर)		/ /
(ङ)	अ.निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)]			

			<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मादल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]			
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रू. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित			
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करे -			
			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	
			1			
			2			
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करे-			
			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)		पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	
		भारत में निवासीय प्रास्थिति (हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी			
	(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)				
	(ज)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें				
	(झ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई) ब्यौरे (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या अधिक है)				
		एल ई आई सं.	तक वैध है			
	(ञ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (√) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -				
		(1)	प्रतिनिधि का नाम			
		(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)			
		(3)	प्रतिनिधि का पता			
		(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार			
	(ट)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -				
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)
			(ड्राप डाऊन प्रदान किया जाना है)			
	(ठ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे				

	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
				शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरण प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोक्ता की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> करें (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिनकोड / ज़िप कोड
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ
	ङ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ
	च	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)		
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3
3(क)	घटाएं: धारा 89क के अधीन कराना से राहत के लिए दावा की गई आय		
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3क)		4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)		5
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन का उपबंध करें)।			
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश
					पिनकोड/ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
		संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			

सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)		किराएदार का नाम(यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
<input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I			
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य				1क	
ख किराए का रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख			
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्तकर		1ग			
घ योग (1ख + 1ग)		1घ			
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)		1ङ			
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च			
छ 1च का 30%		1छ			
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरे ई-फाइलिंग में दिए जाने वाले डापडाउन में भरे जाएं)		1ज			
झ योग (1छ + 2ज)		1झ			
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		1ञ			
ट गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट			
(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथकतः भरें)					
2 आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *		2			
3 "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (2ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लेंगे)		3			
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।				
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है				

अनुसूची	पूँजी	अभिलाभ			
पूँजी अभिलाभ	अ	पूँजी अभिलाभ			
		अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अपूअ)(उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)			
अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से/प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
		क्रय/अर्जन की तारीख /मास/वर्ष	क्रय/अंतरण की तारीख/मास/वर्ष		
		क	i प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का	
		ii स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii		
		iii पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (काi) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii		
ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
	i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा			

	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii						
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्यरूप से व्यय	खाiii						
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv						
	ग	अतिशेष (काiii - खाiv)	1ग						
	घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ						
	ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग- 1घ)					अ1ङ		
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
		क्रं.सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
		टिप्पण► पैन/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
2		इकित्ति शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटी टी संदत्त किया गया है (जहां क 3 लागू नहीं होता है)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था।					
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	2क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi						
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii						
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii						
	iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv						
	ग	अतिशेष (2क - खाiv)	2ग						
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ						
	ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एसटीटी) (2ग+2घ)		2 ङ. i	2 ङ. ii			अ2ङ	
3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफआईआई में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)							
	क	धारा 111क के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी (अ 3 का+ अ 3 ii)						अ3क	
	i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था।							
	ii	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था।							
	ख	क्र.सं. 3क के अंतर्गत न आने वाले शेयरों के विक्रय से या डिबेंचरों के विक्रय से एसटीसीजी						अ3ख	
4		अनिवासी के लिए-धारा 115कघ के अनुसार एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से							
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।							
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य						
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य						
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग					

		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		iii कुल (iग + ii)	क iii		
ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
		i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
		iv कुल (i + ii + iii)	खiv		
ग		अतिशेष (4क iii - खiv)	4ग		
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	4घ		
ङ		एफआईआई (जोअ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ(4ग + 4घ)			अ4ङ
5		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (iग + ii)	क iii		
ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
		i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
		iv कुल (i + ii + iii)	खiv		
ग		अतिशेष (5क iii - खiv)	5ग		
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति/यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	5घ		
ङ		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अ.पू.अ (5ग + 5घ)			अ5ङ
6		लघु अवधिपूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्क्रीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	क्रमा सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभखाता(x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2022-23	54ख		
	ii	2023-24	54ख		
ख		क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + कxii + ख)			क6
7		अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (अ7का+अ7कii+क7ग)			अ7
	का	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क7क	
	कii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रकृति की आय/हानि जो 20 प्रतिशत पर प्रभार्य है, से पास श्रो		क7कii	
	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क7ख	
	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क7ग	

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु दावा किया गया है कि कर से प्रभाय नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय है										
		क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधिके अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशिदावा किया गया है कि जो कर प्रभाय नहीं है									क8क
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि विशेष दरों पर कर प्रभाय है									क8ख
		अ(अ)	1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शयरो के वापसी क्रय पर पूंजी हानि [अल्पकालिक 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या लागू दर]									
			केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की प्रस्थापना की जाती है।									
		9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभाय (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)									क 9
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से/क से च तक प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)										
		संनिर्माण की तारीख			दिन/मास/वर्ष			बिक्री/हस्तांतरण की तारीख		दिन/मास/वर्ष		
		क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य					का			
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					काii			
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (का) या अन्यथा (काii) लेंगे।					काiii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती									
			i	सूचीकरण रहित अधिग्रहण की लागत					खा			
			ii	सूचीकरण सहित अधिग्रहण की लागत (निम्नलिखित के लिए लागू होता है: (अ) 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण, या (आ) जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है, वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी					खाii			
			iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत					खाiiख			
				(क) सूचीकरण के बिना संशोधन की लागत								
				(ख) संशोधन वर्ष								
				(ग) सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत								
				निम्नलिखित के लिए ख और ग लागू होता है: (अ) 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण, या जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है, वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी								
				पंक्ति जोड़े								
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खाiii			
			iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले है (खाiiक + ∑खाiiख(ग) + खiii; वहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् है खा + ∑खाiiख(क) + खiii)					खाiv			
				योग (ड.िअ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही) (खाiiक + ∑खाiiख(ग) + खiii)								
			ivक	जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना)								
			ग	अतिशेष (काiii - खाiv)					1ग			

गक	अतिशेष (कiii - खivक) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)									
	घ	धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1घ			
ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(1ग- 1घ)							आ1ड		
ड क	अचल संपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ (1गक)-(1घ) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)							आ 1 ड क		
	जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है (केवल निवासियों के लिए) अ- धारा 112 (i) (क) (ii) (1ड. 12.5 प्रतिशत) के अनुसार कर आ- धारा 112(1) (क) (ड.क 20 प्रतिशत) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर (टिप्पण))ड. (झझ) में उपेक्षित की जाने वाली आधिक्य रकम का अवधारण करने के लिए है)							आ 1ड.i(आ) आ 1ड.i(आ)		
ड.ii	ऐसी आधिक्य रकम, यदि कोई हो, जिसकी धारा 112 (1)(क) (केवल निवासियों के लिए) के दूसरे परंतुक के अनुसार उपेक्षा की जाती है।							आ 1ड. ii		
	[ख 1 ड.झ(अ)-ख 1ड.झ (आ)]									
च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरेप्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)									
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य		
	टिप्पण▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना अज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।									
छ	जहां अंतरण निम्नलिखित था वहां अचल संपत्ति (ख 1ड.) पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:									
	(क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरिम सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभों की राशि)							अ 1 छक		
	(ख) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरिम सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभों की राशि)							अ 1 छक		
	(ग) कुल आधिक्य की उपेक्षा की जाए (ख 1ड.ii)							अ 1 छग		
2	निवासियों के लिए असूचीबद्ध बंध पत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों(सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न)के विक्रय से (केवल वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था)									
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खा				
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खii				
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खiii				
		iv	कुल (खा + खii + खiii)			खiv				
	ग	अतिशेष (2क - खiv)				2ग				
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2घ				
	ड	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(2ग- 2घ)							आ2ड	
3i	धारा 112 (1) के अनुसार सूचीबद्धप्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र				अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (ii)				
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य				3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीकरण सहित अर्जन की लागत			खा					
	क	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत(जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षित किए जाने वाले कर आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही लागू है।)								
	ii	सूचीकरण सहित सुधार की लागत			खii					

	ii	सूचीकरण रहित सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षित किए जाने वाले कर आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही लागू है।)				
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
	iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था खाक + खii क+ खiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था से पहले था खाक + खiiक+ खiii)	खiv			
	ivक	कुल (खाक + खii क+ खiii) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)				
	ग	अतिशेष(3क-3खiv)	3ग			
	गक	अतिशेष (3क-3खivक) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया था)	3गक			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3घ			
	ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था। i 23 जुलाई, 2024 से पहले ii 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्				आ3ड आ3(i)ड. i आ3 (i)ड. ii
	ड.क	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था (3गक-3घ) (धारा 112 (1) के परंतुक के अनुसार आधिक्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए)				आ3(i) ड.क
	च	(धारा 112(1) (ii) (अ) या धारा 112 (1) (ग) (ii) (अ)के अनुसार कर[एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 20 प्रतिशत पर] [आ 3(ड.क) *20 प्रतिशत] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)				आआ(i)च
	छ	धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [एलटीसीजी सूचीकरण के बिना 10 प्रतिशत पर] [आ 3(ड.क) *10 प्रतिशत] (वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)				आ 3(i)
	ज	आधिक्य रकम जिसे धारा 112 (1) के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षित किया जाना है [आ 3(च) -आ 3(छ)](वहां लागू होता है जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था)				आ 3(i)
3ii	(i)(सूचीबद्ध प्रतिभागियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था		
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
	iv	कुल (खi+खii+खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3घ			
	ड.	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (3ग-3घ) था (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व, (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्				आ3(i) ड. आ 3 (i)ड. i आ 3 (i) ड.ii
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14 (iii))	4क			
	i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहां कॉलम 14 की राशि	4कi			
	ii	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	4कii			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरेविनिर्दिष्ट करें)	4ख			

		i जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि	4खi			
		ii जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	4खii			
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख) i जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि ii जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था			ख4ग आ4गi आ4गii	
5		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)				
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित एलटीसीजी जहाँ अंतरण था-	5क			
		i 23 जुलाई, 2024 से पहले -सूचीबद्ध डिबेंचर	5का			
		ii 23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न	5क ii			
		iii 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	5क iii			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) i. 23 जुलाई, 2024 से पहले -सूचीबद्ध डिबेंचर ii. 23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न iii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	5ख 5खi 5ख ii 5ख iii			
	ग	शेयर या डिबेंचर पर(5क- 5ख)	आ5ग			
		i. 23 जुलाई, 2024 से पहले -सूचीबद्ध डिबेंचर	आ5गi			
		ii. 23 जुलाई, 2024 से पहले - सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न	आ5ग ii			
		iii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)			आ5ग iii	
6		अनिवासियों के लिए-(i)धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां,(ii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट पत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।) टिप्पण- क्रम सं.(iii) के लिए अंतरण की तारीख के आधार पर आय का ब्रेकअप अपेक्षित नहीं है		जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	
	क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।				
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख			
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग			
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
	iii	कुल (iग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
		i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6घ			
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(6ग- 6घ) (i) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ [6(i) और 6(ii) लागू होता है]			आ 6ङ आ 6ङi	

		(ii) जहाँ 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था वहाँ [6(i) और 6(ii) लागू होता है]			आ 6डii	
		(iii) धारा 115कघ में यथा निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से			आ 6डiii	
7		एफआईआई/एफपीआई के लिए (अनिवासियों के लिए)- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112 के अधीन एसटीटी का संदाय किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी[अनुसूची 115कघ(1)(iii)परंतुक के स्तंभ 14(iii)] (7कi+7कii)	7क			
		(i) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था वहाँ कॉलम 14 की राशि	7क(i)			
		(ii) जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था वहाँ कॉलम 14 की राशि	7क(ii)			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरेविनिर्दिष्ट करें)	7ख			
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	7ख(i)			
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	7ख(ii)			
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क-7ख)			आ7ग	
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व			आ8गi	
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्			आ7गii	
8		अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय XII-क के अधीन विकल्प दें)				
	क	विदेशी मुद्रा आस्ति(सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर एलटीसीजी (धारा 115च के अनुसार) जहाँ अंतरण निम्नलिखित था	8क			
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	8कi			
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8कii			
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख			
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	8खi			
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8खii			
	ग	विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष एलटीसीजी जहाँ अंतरण था (8क- 8ख)			आ 8ग	
		(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व			आ 8गi	
		(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्			आ 8गii	
9		जहाँ उपर्युक्त आ1 सेआ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से		जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।				
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख			
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग			
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii			
		iii कुल (iग + ii)	कiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
		i सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत 23 जुलाई, 2024 से पहले अंतरण के लिए और सूचीबद्ध के बिना 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए	खi			
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (9कiii – खiv)	9ग			

घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9घ	i	ii		
ङ	उपर्युक्त आ 9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ) जहां अंतरण (9ग-9घ) था	आ 9ङ	i	ii		
	(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	आ 9ग				
	(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ 9गii				

10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं हाँ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)								
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई अर्जित/निर्मित की गई है	आस्तियां पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या परिसीमन या वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी		
	i	2021-22	54/54च						
	ii	2022-23	54/54ख/54च/54चख						
	iii	2023-24	54/54ख/54च						
ख	क' से भिन्न, दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि((i+ii)								ख
	खi. जहां समझे गए पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 से पूर्व उद्भूत हुए हैं								ख i
	खii. जहां समझे गए पूंजी अभिलाभ 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् उद्भूत हुए हैं								खii
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल राशि(कxi+कxii+कxiii+ख)								ख 10
	(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व								ख 10i
	(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्								ख 10ii
11	दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास थ्रू (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)								ख 11
	क1i	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11क1			
	क1ii	धारा 112क के अंतर्गत 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख 11क1(ii)			
	क2i	धारा 112क के अधीन से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11क 2(i)			
	क2(ii)	धारा 112क के अधीन से भिन्न 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11क2(ii)			
	ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11ख			
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख11 में शामिल की गई परन्तु दावा किया गया कि कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं								
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I								
	II								
	क	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं						ख12क	ख12क
	ख	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार विशिष्ट दरों पर कर के लिए प्रभार्य नहीं						ख12ख	ख12ख
	ख(क)	1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों की क्रय वापसी पर पूंजीगत हानि [अनिवासियों के लिए धारा 115कघ के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों के लिए दीर्घकालिक 12.5 %या 10 %]							ख (अ)
		(केवल तब दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22), (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की प्रस्थापना की जाती है)							
	13	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1ड. + आ2ड+ आ3ड. + आ3iiड.+ आ4ग+ आ5ग. + आ6ड. + आ 7ड. + आ 8ग. + आ 9ड.. + आ 10 + आ 12क + ख(अ)							ख13
इ1	पूंजीगत अभिलाभ की राशि-आय (नीचे सारणी ड. के 11ii+11iii+ 11iv+11v+11vi+11vii+11viii+11ix+x								इ1
इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडिए के स्तंभ 7)								इ2
इ3	पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (इ1+ इ2)								इ3
इ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना								
	धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54च/ 115चके अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए								

क		धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	का	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नए आवासीय घर की लागत	क ii		
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	क iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड	
		दिदि/मामा/वाईवाई 2			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	क v		
ख		धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	खा	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii		
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड	
		दिदि/मामा/वाईवाई			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v		
ग		धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष	
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)	ग ii		
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv		
घ		धारा 54चके अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घ ii		
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	घ iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)आईएफएस कोड	
		दिदि/मामा/वाईवाई			
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घ v		
ड		धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	ड i	दिन / मास / वर्ष	
	ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	ड ii		
	iii	विनिधान की तारीख	ड iii	दिन / मास / वर्ष	
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ड iv		
च		कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)		च	

उ		चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजररा (अ8क और आ12क में शामिल रकमों को छोड़कर, जो डीटीए के तहत चार्जबल नहीं है।)										
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि					घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				मुजरराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	20%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	12.50%	20%	डीटीए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

i	पूँजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अ2ड+ अ3क+ अ7क+)	(आ2ड.ii* +अ3क+ +अ7क+ क+)	(आ4ड*+ आ7ख*+ आ(आ))	(आ1ड+ अ3ख+ आ5ड+ आ6+ आ7+ *अ(आ))	अ8ख	आ3(ii)ड+ आ4ड+ आ5ग+ आ6ड.iii*+ आ7ड.i*+ आ8ग+ आ11क1(i)*+ आ11अ2(ii)*+ आ(अ)	(आ1छख*8+ आ3(i)ड.ii*+ आ4ग+ आ5डग+ आ6ड.ii*+ आ 7ग+ आ8ग+ आ9ड.ii*+ आ10+ आ11क2(ii)*+ आ(अ))	(आ1गक*+ आ3(i)ड.i*+ आ2ड.*+ आ5ग+ आ9ड.(i)*+ आ10+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	15%	(अ2ड+ अ3क+ अ7क)									
iii		20%	अ2ड.ii+अ3 क+अ7क+अ(अ)									
iv		30%	अ4ड + अ7ख									
v		लागू दर	(आ1ड+अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग+अ(अ))									
vi		डीटीएए दर	अ8(2)									
vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	(आ3(ii)ड+आ4ग + आ5ग+आ6ड +आ6ड.iii+आ7ग + आ8ग+ आ11क1(i)+ आ11क2(i)+आ(अ))									
viii		12.50%	(आ1छख+अ3(i)ड.ii + आ4ग+आ5ग+ आ6ड.ii+आ7ग +आ8ग+आ9ड.ii +आ10ड+ आ11क1(ii) +आ11क2(ii) +आ9ड+ आ10 +आ11क2(ii) +आ(अ))									
ix		20%	(आ1छक+आ2ड. +आ3(i)ड.(i)+ आ5ग(i)+आ9ड.i +आ10+आ11ख)									
x		डीटीएए दर	आ12ख									
xi	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii+ix+x)											
xii	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i -xi)											
इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (अ1-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम है वैसे ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभाय नहीं है या विशेष दरों पर प्रभाय हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।												
इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (आ11-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम है वैसे ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभाय नहीं है या विशेष दरों पर प्रभाय हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।												

ऊ		प्रोद्घवन की जानकारी/पूँजी अभिलाभ की रसीद					
पूँजी अभिलाभ का प्रकार/तारीख		15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)	
1.	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें						
2.	20% की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3iiiख से मूल्य प्रविष्ट करें।						
3.	30% की दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें						
4.	लागू दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें						
5.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभाय अल्पकालिक पूँजीगतअभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।						
6.	10%की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें						
7.	12.5% की दर पर कराधेयअल्पकालिक पूँजी अभिलाभअनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3viiiख से मूल्य प्रविष्ट करें।						
8.	20% की दर पर करदेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें						

	उसके पहले या पश्चात्	अंतरित शेयर/यूनिट		नाम			31.0 1.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	बिना अधिग्रहण की लागत		2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	स्थिति के अनुसार प्रतिशेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	उचित बाजार मूल्य - (4*10)	पूर्णतः विशेष रूप से व्यय		अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
	पंक्ति जोड़े														
(i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ था स्तंभ 14 का योग														
(ii)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 3024 को या उसके पश्चात् किया गया था, वहां कॉलम 14 का कुल योग														
(iii)	धारा 115 कघ(i)(ख) (iii) परंतुक के साथ पठित धारा 112 के अधीन कुल एलटीसीजी का योग														

अनुसूची वीडिए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: ऐसे प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएं जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा (2)56x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						

कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)

(अनुसूची सी जी.
का मद संग 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (का + क ii + क iii)	1क	
	i (i) और (iii) से भिन्न लाभांश आय	का	
	ii धारा 2(22)(ड)के अधीनलाभांश आय	क ii	
	iii धारा 2(22)(च)के अधीनलाभांश आय	क iii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	खा	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
	vii धारा 10(12)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
	viii धारा 10(12)के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
	ix अन्य	खix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्तोट का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
	ङ कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि
	1	पारिवारिक पेंशन	
	2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	3	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	4	धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	
	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि	
	6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी	
		यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं	
	2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2का + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित तत्व)	2	
	का लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2का	
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii	
	ख धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	

			v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
			vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
		ग	धारा 111 के अधीन कराधेयमान्यताप्राप्तभविष्य निधि का संचित अधिशेष		2ग	
			क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
		घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ) से घxx का योग)		2घ	
		i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi		
		ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik		
		ii	सरकार या विदेशी करेसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
		iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
		iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv		
		v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v		
		vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi		
		vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii		
		viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii		
		ix	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix		
		X	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x		
		xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi		
		xii	प्रतिभूतियों(लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii		
		xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii		
		xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv		
		Xv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv		
		xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiकक) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi		
		xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii		
		xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxviii		
		xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxix		
		Xx	किसी एफ आई आई द्वारा प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश के रूप में आय (धारा 115कख) में निर्दिष्ट यूनिटों के से भिन्न)-धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxx		
		ड	विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (झापडाउन उपबंधित करें)		2ड	
		च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)		2च	

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क, 1कiii, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
	क	व्यय/कटौतियां कii से भिन्न (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)				3क			
	कii	धारा 57(i) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)				3कii			
	कiiक	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि				3कiiक			
	कiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)				3कiii			
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)				3ख			
	ग	योग				3ग			
4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4
5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5
5क धारा 89 क के अधीन कराने से राहत हेतु आय का दावा									5क
6 [1 (डीटीए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)									6
7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)									7
8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से आय									
	क	प्राप्तियां				8क			
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन				8ख			
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				8ग			
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				8घ			
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 6xii के अंक प्रविष्ट करें)						8ङ	
9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)									9
10 अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना									
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय							
	2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय							
	3क	क्रम सं. में संदर्भित लाभांश पर आय							
	3ख	क्रम सं. 1क(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय							
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न, 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)							
	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)							

6	धारा 115कगके अधीन 10% की दर से लाभांश आय							
7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10%की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)							
8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ (1)(i)में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)							
9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय							
10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीन राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)							
टिप्पण▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।						

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृहसंपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़े से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)			
ivक	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड की 11ii)			
ivख	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 11 iii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11iv)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11v)			
vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11vi)			
viiiक	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11vii)			
viiiख	12.5% की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11viii)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11ix)			
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का11(x))			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का6)			
xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
xiii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)			

xiv	मुजरा की कुल हानि (ii+iii+ivक+ivख+v+vi+vii+viiiक+viiiख+ix+x+xi+xii+xiii)		
xv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i -xiv)		

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन		पूर्ववर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा		
क्रमसं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची-चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात् आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(अग्रनीत यदि गृहसंपत्ति हानि है)	
iiiक	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ivक)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iiiख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ivख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
viiक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viiक)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viiiख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viiiख)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(अग्रनीत यदि घुड़ दौड़ से हानि है)	
Xii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य कराधेय स्रोतों से आय	अनुसूची सीवाईएलए की 4xiii		
xiii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii क + 2iiiख 2iv + 2v + 2vi + 2viiक + 2viiख + 2viii + 2ix + xi + 2xi + 2xii)			
xiv	मुजरे के पश्चात् शेष चालू वर्ष की आय-योग (3i + 3ii + 3iii क + 3iiiख + 3iv + 3v + 3vi + 3vii क + 3viiख + 3viii + 3ix + 3x + 3xi) + 3xii)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि		आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा				
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	गृहसंपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
I	2017-18					
li	2018-19					
iii	2019-20					
iv	2020-21					
v	2021-22					
vi	2022-23					
vii	2023-24					
viii	2024-25					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					

x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलएका 2ii)			(अनुसूची बीएफएलएका 2xi)
xi	2025-26 (चालू वर्ष की हानियां)	(अनुसूची सीवाईएलएका 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2xii+3xii+4xii+5xii)+6xii	अनुसूची सीजी की मद ड का (7xii+8xii+9xii+10xii)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि - नकारात्मक)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि				

अनुसूची- VI क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां				
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80ग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ख	80गग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ग	80 गगघ(1) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	घ	80 गगघ(1ख) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ङ	80 गगघ(2) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	च	80घ(ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)		
	छ	80घघ	ज	80घघख 80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)		
	झ	80ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ञ	80ङ-ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ट	80ङ-ङक(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	ठ	80ङ-ङख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ड	80छ	ढ	80छछ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ण	80छछक	त	80छछग		
		2	भाग ग-कतिपय आयों की बाबत कटौती			
	थ	80थथख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	द	80ददख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		
	ध	80ननक	न	80ननख		
	प	80प	पक	80गगज		
	पख	ई-फाइलिंगअपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)				
	फ	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से पख का योग)				फ

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदारदानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान				
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii	कुल				
घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
	i					
	ii					
	iii	कुल				
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे				
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
	i					
	ii					
	कुल संदान					

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा					
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदायपात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय			
i							

	(पंक्ति जोड़े)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति है, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैना	आश्रित का आधार	प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1.नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2.गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प		अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा				
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम	
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता						

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर		धारा 115जघ के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना		
1	भाग-ख- कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय		1	
2	धारा 115ग(2)के अनुसार समायोजन			
	क शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां " के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कतिपय कटौती	2क		
3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2क)		3	
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)		4	

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर प्रत्यय		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना				
1	निर्धारणवर्ष 2025-26(भाग-ख-कुल करआय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					1
2	निर्धारणवर्ष 2025-26(भाग-ख-कुल करआय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]					3
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					

v	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					
xi	2023-24					
xii	2024-25					
xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
xiv	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का योग]					6

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक, आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है				
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम(रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया	
1						
2						
3						

अनुसूची-विशेष आय						
विशेष आय	क्रमसं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
	2क	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iiiक का भाग)	
	2ख	धारा 111क या धारा 115कघ 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)[जहां अंतरण लागू किए गए अनुसार 23 जुलाई, 2024 को था या उसके पश्चात् था]	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iiiख का भाग)	
	3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
	4क	धारा 112(1) का परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी) (जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था और अनुसूची सीजी के क्रम संख्यांक आ3(i)(ज) को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर कर (यदि कोई हो)	<input type="checkbox"/>	20 (जो अनुसूची गख के आ 3(i) (ज) को घटाकर आए, यदि कोई हो	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)	
	4ख	112 (1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viiख का भाग)	

5क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
5ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूति से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii खका भाग)
6क	115कग(बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii कका भाग)
6ख	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
7क	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viiक का भाग)
7ख	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भाग)
8	115कघ(प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भाग)
9क	115ड विनिदिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भाग)
9ख	115ड विनिदिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख क का भाग)
10क	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी) जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 से पहले था	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3viii का भाग)
10ख	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी) जहां अंतरण/आयोजन 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात था और अनुसूची गछ के क्रम संख्यांक आ 1ड.ii को हिसाब में लेने के पश्चात् उस पर कर, यदि कोई हो	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ 1ड.ii से घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
11क	112क या धारा 115कघ(1)(iii)-परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले था]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भागका भाग)
11ख	112क या धारा 115कघ(1)(iii)-परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण यथा लागू 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था]	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ 1ड.ii से घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)
14क	115खख (लाटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)
14ख	115खखज(आनलाइन गेम से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)

19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3xii का भाग)
21क	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iiiकका भाग)
21ख	20% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
22	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
23क	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii क का भाग)
23ख	धारा 112क के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
24क	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3viiक का भाग)
24ख	धारा 112क के अधीन से भिन्न धारा के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
25	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
कुल				

अनुसूची - छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)					
छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय					1
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i	
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii	
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अन-आमेलित कृषि हानि			iii	
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				2
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)				
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है				
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप				
		ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)				
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)				
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)					3	
4	डीटीएए के अनुसार कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय						
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मर्दे	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
	I						
	II						
	III	कर से अप्रभार्य दावा किए गए डीटीएए से कुल आय					4
5	कर पर दावा किए गए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)					5	
6	योग (1+2+3+4+5)					6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 प, धारा 115पक, और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पासश्रु से आय के ब्यौरे

प्राप्त के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प, 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधिका नाम	कारबार न्यास / विनिधान निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	शुद्ध आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
प्राप्त के माध्यम से आय	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति							
					ii	पूंजी अभिलाभ							
					क	अल्पकालिक अवधि							
					का	धारा 111क							
					काii	अन्य							
					ख	दीर्घकालिक अवधि							
					खा	धारा 112क							
					खाii	धारा 112क के अतिरिक्त							
					iii	अन्य स्त्रोत							
					क	लाभांश							
					ख	अन्य							
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी							
					क	धारा 10(23चखख)के अधीन							
					ख	धाराके अधीन							
	ग	धारा.....के अधीन											
	2.					i	गृह संपत्ति						
						ii	पूंजी अभिलाभ						
						क	अल्प कालिक अवधि						
						का	धारा 111क						
						काii	अन्य						
						ख	दीर्घ कालिक अवधि						
						खा	धारा 112क						
						खाii	धारा 112क के अतिरिक्त						
						iii	अन्य स्त्रोत						
क						लाभांश							
ख						अन्य							
iv						दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी							
क						धारा 10(23चखख)के अधीन							
ख						धाराके अधीन							
ग	धारा.....के अधीन												

टिप्पण: इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एफएसआई		भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)							
क्रम सं.	देश का कोड (ई फाइलिंग में उपबंधित ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	कर दाता की पहचान संख्या	क्रमसं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भागख-ना में शामिल)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधोंके अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च)=(ग) या (घ)इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्यस्त्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					

घ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाप्राही हित भी है)													
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्तिकी प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी	अर्जनकीतारीख	कुल विनिधान (लागतपर) (रु.में)	संपत्ति से प्रोदभूतआय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज				
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूचीकी मद संख्या		
(i)													
(ii)													
ङ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाप्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।													
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्थाका पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाता धारकका नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)													
(ii)													
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक है।													
क्र.सं.	देश का नाम औरकोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियोंके नाम और पते	वस्थापकका नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि(8)हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है													
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय						
(1)	(2)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या				
(i)													
(ii)													

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, कोई स अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई

अनुसूची-5क		पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति या पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी			
पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii)पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूँजीलाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो)			
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्वावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिनकोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ) हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क+ख)				
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुरोध निर्दिष्ट करें ।				

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी कर स्थगन		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते						
संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना		नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या						
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?				अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेटइक्विटी शेयर को आर्बिट्रिट या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बिट्रिट किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय)		

2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
5.	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

भाग-ख

भाग ख- कुल आय		कुल आय की संगणना		
कुल आय	1	वेतन(अनुसूची वेतन का 6)	1	
	2	गृहसंपत्ति से आय(अनुसूची गृ.सं. का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
	3	पूंजी अभिलाभ		
		क लघुअवधि		
		i क लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11ii)		का
		i ख लघु अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11iii)		
		ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ.का मदड का11iv)		काii
		iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य(अनुसूची पू.अ.का मदड का11v)		काiii
		iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9vi)		काiv
		v कुल लघु अवधि (काक + काख + काii + काiii+काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)		3कv
		ख दीर्घ अवधि		
		i क दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11अपप)		खा
		i ख दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11viii)		
		ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदडका11ix)		खाii
		iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 11)		खाiii
		iv कुल दीर्घ अवधि (खाक+खाख+खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)		3खiv
	ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग		
	घ धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का ग 2)	3घ		
	ड कुल पूंजीगत अभिलाभ(3ग + 3घ)	3ड		
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूचीणध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क		
	ख प्रभार्य योग्य आयपर विशेष दर पर कर(अनुसूची असो का 2)	4ख		

	ग	दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसूची णध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग		
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)		4घ	
5		शीर्षवार कुल आय (1+2+3ड+4घ)		5	
6		5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा.के 2xivऔर 3xivकायोग)		6	
7		चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन +2 अनुसूची सीवाईएलएस्तंभ 4 का योग)		7	
8		7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)		8	
9		सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा.+ 2का 3xiv)		9	
10		धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है		10	
11		अध्याय 6के अधीन कटौतियां(अनुसूची VIककाब और 9-10 के लिए सीमित)		11	
12		कुल आय(9-11)		12	
13		आय जो 12 में सम्मिलित है औ रविशेष दरों पर कर से प्राभार्य(अनुसूची धझ में स्तंभ(इ)का योग)		13	
14		शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)		14	
15		'संकलित आय' (12-13+14)[लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]		15	
16		अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)		16	
17		धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)		17	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना				
करदायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर(अनुसूची का अनुकल्पितभ्रतर कर का 4)	1क		
		ख	(क) परअधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) उपर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर(1क +1ख +1 ग)			1 घ
	2		कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर			2क
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)			2ख
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13)अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो,से अधिक हो]			2ग
		घ	कुलआय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)			2घ
	3		धारा 87क के अधीन रिबेट			3
4		रिबेट के पश्चात संदेय योग्य कर(2घ- 3)			4	
5		अधिभार		उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	
	i	अनुसूची धझ के 15(ii) के 25%	5i		iक	
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्दिष्ट करें)	5ii		iiक	
	iii	अनुसूची धझ के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]]	5iii			
	iv	कुल (iक+iiक)				5iv
6		(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस(3 + 5iv)				6
7		सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)				7

	8	कुल कर संदेय(1घ और 7 से कुछ कम)				8	
	8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)				8क	
	8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				8ख	
	8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
	9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)				9	
	10	धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)				10	
	11	कर राहत					
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)			11क		
	ख	धारा 90 या 90क(अनुसूची टीआर का 2)			11ख		
	ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)			11ग		
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)				11घ	
	12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
	13	ब्याज और संदेय फीस					
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)			13क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यति क्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)			13ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)			13ग		
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यति क्रम के लिए (धारा 234घ)			13घ		
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)				13ङ	
	14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)				10	
संदत्त कर	15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस			15क		
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर(20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)			15ख		
	ग	स्रोत पर कर कटौती(20घ के स्तंभ 7(i) का योग)			15ग		
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)			15घ		
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)				15ङ	
	16	संदेय कर(यदि 14, 15ङसे अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
	17	प्रतिदाय(यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय,यदि कोई हो,सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
बैंकखाता	18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है(प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।				हां, अथवा नहीं का चयन करें	
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (ई फाइलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	पुनःवापसी प्रत्यय के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते पर सही का निशान बनाएं)
		i					
		ii					
			नोट: 1.सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए । 2.यदि बहुविध खातों का चयन किया जाता है, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती				
	ii	ख) अनिवासी, जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.बी.ए.एन	
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
	19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)					हां/नहीं

घ	स्त्रोत पर कर संग्रहण का विवरण(टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]										
	अन्य आय पर टी.डी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैना (यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष की टीसीएस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया		
					वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशिबी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)	
i											
टिप्पणी	कृपया भाग ख-ननझ के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल मांग दर्ज करें										

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है। (यदि आर्बिट किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, लागू होगा जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना है)

तारीख	स्थान	यहाँ हस्ताक्षर करें →
-------	-------	-----------------------

यदि विवरणीकर विवरणी तैयार कर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरादे:

कर विवरणी तैयार कर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयार कर्ता का नाम	कर विवरणी तैयार कर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयार कर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम “;		